

# कार्यालय निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक शिविरा-प्रारं/नियुप्रको/नियु-2/982/टीजीटी 2016/लेवल-2/2016-17 दिनांक 23.02.18

## प्रेस विज्ञप्ति

राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती, 2016 (संशोधित) के क्रम में विज्ञापन संख्या 01/2017 दिनांक 11.09.2017 द्वारा गैर अनुसूचित क्षेत्र (NON TSP) के लिए तृतीय श्रेणी अध्यापकों के लेवल द्वितीय के विभिन्न पदों पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी कर ऑन लाईन आवेदन पत्र भरवाये गये थे। उक्त विज्ञापन के विशेष नोट के बिन्दु संख्या (i) में लिखा गया था कि " :-

"राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2016 हेतु पूर्व में जारी विज्ञापन संख्या 01/2016 दिनांक 06.07.2016 के तहत जिन आवेदकों द्वारा लेवल द्वितीय के लिए आवेदन किया गया उन्हें दुबारा आवेदन पत्र भरने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन राज्य सरकार की संशोधित अधिसूचना दिनांक 29.08.17 के अनुसार (विज्ञप्ति के बिन्दु संख्या 6.1 (B) के अनुसार) अपनी शैक्षिक योग्यता से संबंधित संपूर्ण सूचनाएं ऑन लाईन पोर्टल पर पूर्व आवेदन पत्र की एप्लीकेशन रेफरेंस आई डी का उपयोग कर अपना डाटा अपडेट करना होगा अन्यथा संपूर्ण सूचनाओं के अभाव में उनका पूर्व का आवेदन पत्र मान्य नहीं होगा। "

माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में दायर याचिका संख्या 2902/2018 मंजू कुमारी व अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य याचिकाओं में पारित निर्णय दिनांक 23.02.2018 की पालना में ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2016 हेतु पूर्व में जारी विज्ञापन संख्या 01/2016 दिनांक 06.07.2016 आवेदन पत्र भरा गया था लेकिन वे संशोधित विज्ञापन संख्या 01/2017 दिनांक 11.09.2017 के अनुसार अपना डाटा अपडेट नहीं कर सके, ऐसे समस्त आशार्थियों से निम्नानुसार ऑफ लाईन आवेदन पत्र दिनांक 27.02.18 व 28.02.18 को आमंत्रित किये जाते हैं। ऐसे समस्त आशार्थियों को यह अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है। इसके बाद कोई अवसर नहीं दिया जायेगा।

ऑफ लाईन आवेदन पत्र निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर में कार्यालय समय में निम्नांकित शर्तों के तहत ही स्वीकार किये जायेंगे -

1. आवेदन पत्र व्यक्तिशः ही स्वीकार किये जायेंगे।
2. जिन पात्र अभ्यर्थियों द्वारा तृतीय श्रेणी अध्यापकों लेवल द्वितीय हेतु विज्ञापन संख्या 01/2017 दिनांक 11.09.2017 अंतर्गत ऑन लाईन आवेदन पत्र भर दिया गया है, उनके ऑफ लाईन आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
3. अभ्यर्थी द्वारा विज्ञापन संख्या 01/2016 दिनांक 06.07.2016 का पूर्व में ऑन लाईन आवेदन पत्र भरा है, की प्रति संलग्न करनी अनिवार्य होगी। इसके अभाव में ऑफ लाईन आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
4. अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र के साथ विज्ञप्ति दिनांक 11.09.17 में वर्णित अध्यापक पात्रता परीक्षा/शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यता एवं अन्य समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां व वांछित शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. अभ्यर्थी को कॉलम 04 में अंकित समस्त दस्तावेजों की मूल प्रतियां साथ में लानी अनिवार्य होगी।
6. शेष शर्तें विज्ञापन संख्या 01/2017 दिनांक 11.09.2017 के अनुसार यथावत रहेगी।
7. यह समस्त प्रक्रिया माननीय न्यायालय के उक्त याचिका के अंतिम निर्णयाधीन रहेगी।

निदेशक,

प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान,  
बीकानेर

# कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक- शिविरा-प्रारं/नियु प्रको/नियु-2/982/टीजीटी-2016/2016 दिनांक:- 24.02.18

## इस कार्यालय की प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 23.02.2018 के अनुसार गैर-अनुसूचित क्षेत्र (Non-Tsp Area) के लिए अध्यापक लेवल-द्वितीय के विभिन्न पदों पर ऑफ-लाईन आवेदन के संबंध में निर्देश

- माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में दायर याचिका सं. 2902/2018 मंजु कुमारी बनाम सरकार व अन्य की पालना में केवल ऐसे अभ्यर्थियों से ही आवेदन पत्र प्राप्त किये जावेंगे जिनके द्वारा राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय सीधी भर्ती 2016 अन्तर्गत जारी विज्ञापन संख्या 01/2016 दिनांक 06.07.2016 का आवेदन किया गया था लेकिन संशोधित विज्ञापन 01/2017 दिनांक 11.09.17 के अन्तर्गत अपने आवेदन का डाटा अपडेट नहीं कर सके।
- आवेदन भरने के संबंध में विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध FAQ का अवलोकन कर पूर्ण व सही आवेदन प्रस्तुत करेंगे, अपूर्ण आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- ऑफ-लाईन आवेदन का प्रारूप संलग्न है, इस प्रारूप में समस्त सूचनाएँ भर पूर्व आवेदन की प्रति (2016 में किया गया ऑन-लाईन आवेदन) सहित व्यक्तिशः उपस्थित होकर प्रस्तुत करनी है।
- अध्यापक लेवल-द्वितीय हेतु जारी विज्ञप्ति दिनांक 11.09.2017 के अनुसार समस्त शर्तें व योग्यतायें पूर्ण रखने वाले आवेदकों से ही आवेदन स्वीकार किये जावेंगे।
- विज्ञप्ति दिनांक 11.09.2017 के अनुसार निम्न दस्तावेजों की मूल प्रतियां व फोटो कॉपी (प्रमाणित) साथ में लानी है।

क्र.सं.	दस्तावेज/प्रमाण-पत्र का नाम	संलग्न सं.
1	मूल आवेदन-पत्र	
2	घोषणा-पत्र (उपरोक्त निर्धारित प्रारूप में)	
3	शपथ-पत्र (उपरोक्त निर्धारित प्रारूप में)	
4	सैकण्डरी/समकक्ष की अंकतालिका की प्रमाणित प्रति।	
5	सीनियर सैकण्डरी/समकक्ष की अंकतालिका की प्रमाणित प्रति।	
6	स्नातक/समकक्ष की अंकतालिका की प्रमाणित प्रति।	
7	बीएसटीसी/ बी.एड./समकक्ष की अंकतालिका की प्रमाणित प्रति।	
8	मूल निवास प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति।	
9	जाति प्रमाण-पत्र (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित क्षेत्र जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) की प्रमाणित प्रति। जो कि पिता के नाम से जारी किया हुआ होना चाहिए। नोट :- अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए वैध अवधि का प्रमाण पत्र हो।	
10	शारीरिक विकलांगता प्रमाण-पत्र (सक्षम अधिकारी से प्रमाणित प्रति) (Under Clause (1) of section 2 of the Persons with disabilities (Equal Opportunities Protection of Rights and Full Participation) Act. 1995)	
11	विधवा की स्थिति में स्वयं का शपथ-पत्र एवं पति की मृत्यु का प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति।	
12	विवाह विच्छिन्न होने पर न्यायालय निर्णय/डिक्री की प्रमाणित प्रति।	
13	RTET -2011 का प्रमाण पत्र (यदि परीक्षा 60% या अधिक अंको (टीएसपी एसटी के अभ्यर्थी के मामले में 36 प्रतिशत) से उत्तीर्ण की है तो।)	
14	RTET -2012 का प्रमाण पत्र (यदि परीक्षा 60% या अधिक अंको (टीएसपी एसटी के अभ्यर्थी के मामले में 36 प्रतिशत) से उत्तीर्ण की है तो।)	
15	REET 2015 का प्रमाण पत्र (यदि परीक्षा 60% या अधिक अंको (टीएसपी एसटी के अभ्यर्थी के मामले में 36 प्रतिशत) से उत्तीर्ण की है तो।)	
कुल संलग्नकों की संख्या		

- विज्ञप्ति दिनांक 11.09.2017 के बिन्दु संख्या 13 के अनुसार शपथ-पत्र संलग्न करने है।
- मूल दस्तावेजों के अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- पूर्व आवेदन पत्र की प्रति के अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- आवेदन अपने साथ आधार कार्ड/पहचान पत्र साथ में लेकर आवें। इसके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- आवेदन पत्र कार्यालय समय में ही प्राप्त किये जावेंगे।
- निर्धारित तिथि पश्चात् कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जावेंगे।
- रजिस्टर्ड डाक/ई-मेल के माध्यम से भेजे गये आवेदन स्वीकार नहीं किये जावेंगे।

**Offline Form for Rajasthan Primary and Upper Primary School Teacher (Level-2) Direct Recruitment- 2016 (Revised)**

<b>1. Recruitment Details</b>	
Recruitment Name	Rajasthan Primary and Upper Primary School Teacher (Level-2) Direct Recruitment- 2016 (Revised)
Post Applied	III Grade Teacher-..... Non Tsp
Application No-	
Application Submitted Date	

<b>2. Applicant's Details</b>			
Do You have old application no.		Old Application no.	
Candidate Name		Father's name	
Mother's name		Gender	
Date of birth		Category	
Specially abled category		Sub specially abled category	
Religion		Marital Status	
Spouse Name		Do you have more than on spouse living	
Are you married to the person having already a wife living		Have you accepted Dowry in your marriage	
Mobile Number		Email	
Aadhar ID		Bhamashah	

<b>Applying For</b>	
Apply for special Education	

<b>Correspondance Address</b>			
Address Line 1		Address Line 2	
Address Line 3		State	
District		City/Village	
Pincode		Phone No.	

<b>3. Personal Details</b>			
Nationality		Home State	
Home District		Home Block	
Tehsil/City		Village	
Settled in India form other Country		From which Country	

<b>Special Category</b>	
Are You Ex-Serviceman?	
Are You Outstanding Sports Persons?	
Are You Ex-Prisoner?	

<b>Sports Person Details</b>			
<b>International</b>			
Did you represented India in International Level?			
Type of Tournament		Type of Medal	
Association/Federation Name		Name of the Game	
Year of Participation			

<b>National</b>			
Did you represented India in National Tournament?			
Type of Tournament		Type of Medal	
Association/Federation Name		Name of the Game	
Year of Participation			

<b>Additional Category (If Yes)</b>			
Repatriated from Pakistan during the 1971 Indo-Pak War		State Government Employee	

#### 4. Educational Qualification Details

S.no.	Name of Exam	Subject	Name of Board/ University/School	Roll No.	Year of Passing	Duration (In Months)	Result	Percentage /Grade/CGPA	Total Marks	Marks Obtained	Admission Date	Passing Date
1												
2												
3												
4												
5												
6												

#### Subject for Graduation

Details of Education	Passing Year	Graduation Subject Group	Graduation subject	Maximum Marks	Marks Obtained	Percentage of marks obtained	Passing date
Graduation				Not Applicable			
		Additional Subject					
REET/RTET				Not Applicable			

#### Debarred

Has any Board/Public Service Commission Debarred you for use of unfair means etc in its Competitive/Recruitment Exam?		
If Yes		
Name of Board/Commission		Order Number
Order Date		Name of Exam
Exam Date		Has the period of debar of Expired
Period for Which Debarred (In Months)	From date	Period To Date

#### Percentage Calculation

REET/RTET (70% age of %age of marks Obtained)	
Graduation (30% age of %age of marks Obtained)	
Total %age of marks Obtained	

#### 5. District Preferences

Preference 1		Preference 17	
Preference 2		Preference 18	
Preference 3		Preference 19	
Preference 4		Preference 20	
Preference 5		Preference 21	
Preference 6		Preference 22	
Preference 7		Preference 23	
Preference 8		Preference 24	
Preference 9		Preference 25	
Preference 10		Preference 26	
Preference 11		Preference 27	
Preference 12		Preference 28	
Preference 13		Preference 29	
Preference 14		Preference 30	
Preference 15		Preference 31	
Preference 16			

#### 6. Fee Status

Payment Mode		Amount	
Payment Status		Receipt No	
Transaction Date			

#### 7. Declaration

I hereby declare that all information submitted in this application are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. In the event of knowledge being found false or incorrect or ineligibility being detected before of after the Rajasthan Primary and Upper Primary School Teacher (Level-2) Direct recruitment-2016 (Revised), action can be taken against me by Zila Parishad/Department. I have read all the conditions of eligibility with regards to age limit, education qualifications, Rajasthan Teacher's Eligibility Test and required training etc. Prescribed for admission of Rajasthan Primary and Upper Primary School Teacher (Level-2) Direct recruitment-2016 (Revised). I am fully aware that corrections are not allowed after submission of application on-line and such application shall not be entertained.

Name & Signature